

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पीथीसा

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

अंजु उनवान राज. सरका
..... बनाम

दावा बाबत नाम उरुस्ती U/S 88 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 137/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-21 को श्री **राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दवा वादनी स्वीकार किया जाता खाता संख्या 155 शेरी ग्राम पीथीसा में विद्यापुत्री पोकरराम के स्थान पर अंजु पुत्री पोकरराम करने का आदेश दिया जाता है उक्त नाम उरुस्ती के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसी समस्त जिम्मेदारी वादनी की होगी तहसीलदार, चूरु उक्त नाम राजस्व अभिलेख में आमम दराभद करे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

02/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तमील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़



2541
04/12/2021